[2009] 7 एस सी आर 383.

सुब्बुसिंह

बनाम

राज्य, लोक अभियोजक द्वारा

आपराधिक अपील संख्या 402/2002

4 मई, 2009

[डॉ. अरिजीत पसायत, डी.के. जैन एवं डॉ. मुकुंदकम शर्मा, न्यायमूर्तिगण]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 – धाराएँ 7 सहपठित धारा 12 तथा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 12 एवं 20 – रिश्वत की मांग एवं प्राप्ति – पुलिस अधिकारी (अभियुक्त-1) द्वारा अपने मित्र (अभियुक्त-2) के माध्यम से – परिवादी को आपराधिक मामले में फँसाने की धमकी – जाल आयोजित – फिनॉल्फ्थेलीन परीक्षण सकारात्मक – विचारण न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त-1 को दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त-2 की दोषमुक्ति को बनाए रखना – अपील पर अभिनिर्धारित : मामले के तथ्य तथा अभियुक्त-1 का आचरण उसके दोष को स्थापित करते हैं – रिश्वत की मांग की ओर ले जाने वाली घटना भी स्थापित – एक बार यह सिद्ध हो जाए कि धनराशि रिश्वत के रूप में माँगी गई थी तथा अभियुक्त द्वारा प्राप्त की गई थी, तब धारा 20 लागू होती है – धारा 20 के अधीन उपधारणा उत्पन्न होने पर अभियुक्त का दायित्व है कि वह स्थापित करे कि राशि रिश्वत के रूप में प्राप्त नहीं की गई थी – उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त-1 की दोषसिद्धि सही है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 402/2002।

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 316/1993 में दिनांक 20.11.2001 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

पी.पी. राव, के.वी. विश्वनाथन, बी. रघुनाथ, अभिषेक कौशिक, विजय कुमार, अपीलकर्ता की ओर से।

एस. धनंजयन, उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय जिनके द्वारा प्रदान किया गया।

डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति

1. वर्तमान अपील में चुनौती मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित उस निर्णय को है, जिसके द्वारा तमिलनाडु के विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त कर दिया गया। अपीलकर्ता का विचारण एक राजप्पन नामक व्यक्ति के साथ किया गया। अपीलकर्ता का विचारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 7 सहपठित धारा 12 तथा धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 12 के अधीन दंडनीय अपराधों के कथित किए जाने हेतु किया गया। विचारण न्यायालय ने दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने सह-अभियुक्त के संबंध में दोषमुक्ति को बनाए रखा, किन्तु अपीलकर्ता के संबंध में दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त कर आरोपित अपराधों के लिए दोषसिद्धि निर्देशित की। अधिनियम की धारा 7 के अधीन दंडनीय अपराध हेतु न्यूनतम छह माह के कारावास तथा अर्थदंड, व्यतिक्रम उपबंध सहित, और अधिनियम की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(घ) के अधीन अपराध हेतु एक वर्ष के कठोर कारावास तथा अर्थदंड, व्यतिक्रम उपबंध सहित, का दंड अधिरोपित किया गया।

2. अभियोजन कथन संक्षेप में निम्नवत् है :—

सुब्बुसिंह (अभियुक्त-1), अपीलकर्ता, सत्यामंगलम पुलिस थाना में उप-निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। राजप्पन (अभियुक्त-2), अभियुक्त-1 का मित्र था। रेंगा नायक्कर (अभियोजन साक्षी-4) एवं थिप्पा नायक्कर (अभियोजन साक्षी-21) के बीच भूमि विवाद था। दोनों के बीच दिनांक 06.07.1991 को झगड़ा हुआ। नागरजन (अभियोजन साक्षी-5), जो अभियोजन साक्षी-

4 का संबंधी था, सत्यामंगलम पुलिस थाना गया और अभियुक्त-1 उप-निरीक्षक के समक्ष अभियोजन साक्षी-21 के विरुद्ध मौखिक शिकायत की। अभियुक्त-1 ने पुलिस आरक्षी अभियोजन साक्षी-11 एवं अभियोजन साक्षी-12 को अभियोजन साक्षी-21 को लाने हेतु घटनास्थल पर जाने का निर्देश दिया। तदनुसार वे घटनास्थल पर गए और पाया कि अभियोजन साक्षी-21 घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। आरक्षी घायल व्यक्ति एवं अन्य लोगों को पुलिस थाना ले आए।

इस बीच, सेल्वन (अभियोजन साक्षी-2), जो अभियोजन साक्षी-21 का बहनोई था, उनके पीछे-पीछे पुलिस थाना पहुँचा। चूँकि घायल अभियोजन साक्षी-21 को अस्पताल नहीं ले जाया गया था, इसलिए अभियोजन साक्षी-2 ने अभियुक्त-1 से उसे अस्पताल भेजने का अनुरोध किया। अभियुक्त-1 की अनुमति से घायल को ऑटो द्वारा डॉ. थंगावेल (अभियोजन साक्षी-10) द्वारा संचालित निजी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने के पश्चात् अभियोजन साक्षी-21 एवं अन्य लोग पुनः पुलिस थाना लौट आए। अभियोजन साक्षी-2 को सायंकाल पुनः आने को कहा गया।

तदनुसार अभियोजन साक्षी-2 सायं 5:00 बजे पुलिस थाना पहुँचा। उस समय पुलिस ने दोनों पक्षों से मुचलका लिया कि वे दीवानी न्यायालय का सहारा लेकर विवाद का निपटारा करेंगे। तत्पश्चात् अभियुक्त-1 ने अभियोजन साक्षी-21 एवं अन्य लोगों को पुलिस थाना के बाहर प्रतीक्षा करने तथा अभियुक्त-2 के निर्देशानुसार कार्य करने को कहा, जो अभियुक्त-1 का मित्र था।

कुछ ही मिनटों में अभियुक्त-2 आया और अभियोजन साक्षी-2 को सूचित किया कि अभियुक्त-1 ने उससे उनके पक्ष से 500/- रुपये लेने को कहा है। नटराजन (अभियोजन साक्षी-22), जो अभियोजन साक्षी-21 का पुत्र था, ने कहा कि उसके पास केवल 100/- रुपये हैं। अभियुक्त-2 ने अभियुक्त-1 से निर्देश प्राप्त करने के पश्चात् उनसे 100/- रुपये देने को कहा। अभियोजन साक्षी-22 ने अभियुक्त-2 को बताया कि 100/- रुपये दवा खरीदने के लिए

आवश्यक हैं। तब अभियुक्त-2 ने कहा कि वह अपनी जेब से 100/- रुपये देगा और समीप स्थित चूड़ी की दुकान, जहाँ अभियोजन साक्षी-8 व्यवसाय करता था, वहाँ अभियोजन साक्षी-21 की ओर से उक्त राशि दे दी। अभियुक्त-2 ने उसे 100/- रुपये तथा शेष 400/- रुपये, जो अभियुक्त-1 को दिए जाने थे, लाने का निर्देश दिया। तत्पश्चात् उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई।

दिनांक 07.07.1991 को अभियुक्त-1 भूमि पर गया और संदेश दिया कि अभियोजन साक्षी-2 एवं अभियोजन साक्षी-4 सायंकाल उससे मिलें। अभियोजन साक्षी-2 सायं लगभग 5:00 बजे पुलिस थाना में अभियुक्त-1 से मिला। उस समय अभियुक्त-1 ने उससे पूछा कि क्या वह राशि लाया है और अभियोजन साक्षी-2 ने बताया कि धनराशि तैयार नहीं है। अभियुक्त-1 ने कहा कि 100/- रुपये की राशि पहले ही दुकान के मालिक के माध्यम से प्राप्त की जा चुकी है तथा शेष 400/- रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए, अन्यथा वह अभियोजन साक्षी-5 की शिकायत पर अभियोजन साक्षी-21 के विरुद्ध मामला दर्ज कर देगा। अभियोजन साक्षी-2 ने उसे बताया कि वह राशि 12.07.1991 को लाएगा। तत्पश्चात् अभियोजन साक्षी-2 ने यह बात अभियोजन साक्षी-21 को बताई।

चूँकि अभियोजन साक्षी-2 रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने दिनांक 11.07.1991 को लगभग 4:30 बजे सतर्कता विभाग के निरीक्षक (अभियोजन साक्षी-26) को शिकायत पत्र प्रदर्श-पी2 दिया। अभियोजन साक्षी-2 को अगले दिन सतर्कता कार्यालय आने को कहा गया। इस बीच, अभियोजन साक्षी-26 ने मनोकरण (अभियोजन साक्षी-3) तथा तमिलनाडु विद्युत बोर्ड में कार्यरत एक जगदीसन की सहायता का अनुरोध किया।

अगले दिन प्रातःकाल आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करते हुए पूर्व-जाल महाजर तैयार किया गया। अभियोजन साक्षी-2 द्वारा दिए गए 400/- रुपये के मुद्रा नोटों पर फिनॉल्फ्थेलीन पाउडर लगाकर परीक्षण का प्रदर्शन किया गया। तत्पश्चात् वे सभी लोग 12.07.1991 की प्रातःकाल पुलिस थाना गए। चूँकि अभियुक्त-1 वहाँ उपलब्ध नहीं था, इसलिए

वे उसके घर गए, जो पुलिस क्वार्टर में स्थित था। तब केवल अभियोजन साक्षी-2 एवं अभियोजन साक्षी-3 को भीतर जाने के लिए कहा गया। अभियोजन साक्षी-2 ने 400/- रुपये की शेष राशि अभियुक्त-1 को दी, जिसे उसने अपने बाएँ हाथ से प्राप्त किया। इसके पश्चात् उसने आश्वासन दिया कि वह अभियोजन साक्षी-21 के विरुद्ध मामले का ध्यान रखेगा। भियोजन साक्षी-2 एवं अभियोजन साक्षी-3 दोनों बाहर आए और संकेत दिया।

तत्पश्चात् अभियोजन साक्षी-26 तथा उसके लोग घर के भीतर प्रवेश किए। उस समय अभियुक्त-1 के बाएँ हाथ में सामग्री प्रदर्श-1 श्रेणी के मुद्रा नोट थे। दोनों हाथों पर फिनॉल्फ्थेलीन परीक्षण किया गया, जो सकारात्मक पाया गया।

आगे का अन्वेषण विवेकानंदन (अभियोजन साक्षी-27), जो एक अन्य पुलिस निरीक्षक थे, द्वारा ग्रहण किया गया। साक्षियों का परीक्षण करने तथा अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् उन्होंने दोनों अभियुक्तों, अर्थात् अभियुक्त-1 एवं अभियुक्त-2, के विरुद्ध आरोपपत्र समर्पित किया।

विचारण के दौरान अभियोजन ने अभियोजन साक्षी-1 से अभियोजन साक्षी-27 तक का परीक्षण कराया, प्रदर्श-पी1 से प्रदर्श-पी21 तक अभिलिखित किए तथा सामग्री प्रदर्श-1 से सामग्री प्रदर्श-6 तक अंकित किए।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन पूछताछ के दौरान अभियुक्त-1 ने कहा कि वह निर्दोष है तथा मुद्रा नोट उसकी जानकारी के बिना उसकी कुर्सी के नीचे रख दिए गए थे। अभियुक्त-2 ने कहा कि अभियुक्त-1 एवं अभियुक्त-2 दोनों के विरुद्ध अभियोजन साक्षी-2, जो एक लॉरेंस नामक व्यक्ति के अधीन कार्य करता था, के कहने पर झूठा मामला गढ़ा गया।

विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् उपर्युक्त आरोपों के संबंध में दोनों अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में राज्य का कथन यह था कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध महत्वपूर्ण साक्ष्यों की उपेक्षा करते हुए तथा साक्ष्यों का सम्यक्

परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किए बिना अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया तथा अभिलिखित निष्कर्ष पूर्णतः विकृत एवं अभिलेखीय सामग्री तथा साक्ष्य के प्रतिकूल हैं। अभियुक्त व्यक्तियों ने विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया। दोषमुक्ति के लिए दिए गए कारण निम्नवत् थे :

(1) अभियोजन साक्षी-7 एवं अभियोजन साक्षी-8, जो दुकानदार थे, शत्रुतापूर्ण हो गए। प्रदर्श-पी7, ऋण खाता पुस्तिका में, यह उल्लेख नहीं है कि अभियुक्त-2 को 100/- रुपये की राशि दी गई थी तथा उक्त राशि अभियुक्त-1 को दी गई थी। चूँकि दिनांक 06.07.1991 को पुलिस थाना में दोनों पक्षों से मुचलका लिया गया था तथा उसी पर उनके हस्ताक्षर भी लिए गए थे, इसलिए अभियुक्त-1 को अभियुक्त-2 के माध्यम से रिश्वत की राशि माँगने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(2) केवल अभियोजन साक्षी-21 ही पीड़ित व्यक्ति है, क्योंकि उसी से उसके विरुद्ध मामला दर्ज न करने के उद्देश्य से राशि की माँग की गई थी। अतः अभियोजन साक्षी-2 को अभियुक्त-1 को रिश्वत देने के लिए सहमत नहीं होना चाहिए था तथा उसे अभियोजन साक्षी-21 की जानकारी के बिना सतर्कता विभाग में शिकायत भी नहीं करनी चाहिए थी। अभियोजन साक्षी-2 को अवश्य ही किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उकसाया गया होगा।

(3) उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले इरोड सतर्कता कार्यालय में शिकायत करने के स्थान पर अभियोजन साक्षी-2 ने कोयम्बटूर सतर्कता विभाग में शिकायत करना चुना। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

(4) जब अभियोजन साक्षी-2 अभियुक्त-1 के घर में प्रवेश किया, तब अभियुक्त-1 ने उससे पूछा, "तुम कौन हो?" यदि वास्तव में 06.07.1991 एवं 07.07.1991 को वह घटना हुई थी, जिसमें अभियोजन साक्षी-2 ने दोनों अवसरों पर अभियुक्त-1 एवं अभियुक्त-2 से भेंट की थी, तब अभियुक्त-1 द्वारा ऐसा प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता

नहीं थी। अतः अभियोजन साक्षी-2 तथा अभियोजन साक्षी-21 से अभियोजन साक्षी-23 द्वारा कही गई 06.07.1991 एवं 07.07.1991 की घटनाएँ सत्य नहीं हो सकतीं।

(5) विचारण न्यायालय के समक्ष यह दर्शाने हेतु कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई कि अभियोजन साक्षी-4 से अभियोजन साक्षी-6 एक पक्ष में तथा अभियोजन साक्षी-21 एवं अभियोजन साक्षी-23 दूसरे पक्ष में एक-दूसरे के विरुद्ध शिकायत दर्ज किए थे। अतः अभियोजन साक्षी-2 तथा अभियोजन साक्षी-21 से अभियोजन साक्षी-23 तक की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

(6) अभियोजन साक्षी-12, अभियोजन साक्षी-13, अभियोजन साक्षी-15 एवं अभियोजन साक्षी-16, जो सत्यामंगलम पुलिस थाना से संबद्ध आरक्षी थे, द्वारा पुलिस थाना में दोनों पक्षों की शिकायत के संबंध में की गई पूछताछ की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामान्य डायरी में कोई प्रविष्टि नहीं है। एक अन्य आरक्षी अभियोजन साक्षी-14 की साक्ष्य पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों पक्षों से लिया गया मुचलका प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रदर्श-पी12 एवं प्रदर्श-पी13, टैक्सी की ट्रिप शीट्स, में सतर्कता निरीक्षक अभियोजन साक्षी-27 के हस्ताक्षर हैं और इसलिए वे मनगढ़ंत दस्तावेज हैं।

(7) फिनॉल्फ्थेलीन परीक्षण उचित प्रकार से नहीं किया गया। पूर्व-जाल परीक्षण अभियोजन साक्षी-2 एवं अभियोजन साक्षी-3 को समुचित प्रकार से समझाया नहीं गया। जाल के पश्चात् सामग्री प्रदर्श-5 एवं सामग्री प्रदर्श-6 की बोतलों पर अभियुक्त-1 के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किए गए। यह दर्शाता है कि परीक्षण अभियुक्त-1 के घर पर किया ही नहीं गया होगा।

(8) अभियुक्त-1 ने धनराशि अपने बाएँ हाथ से प्राप्त की। जब अभियोजन साक्षी-2 एवं अभियोजन साक्षी-3 घर में प्रवेश किए, तब अभियुक्त-1 ने धनराशि केवल अपने बाएँ हाथ में रखी थी, किन्तु दाएँ एवं बाएँ दोनों हाथों पर किया गया परीक्षण सकारात्मक

पाया गया। दाएँ हाथ के परीक्षण के सकारात्मक पाए जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

(9) कुल 500/- रुपये की राशि में से अभियोजन के अनुसार 100/- रुपये अभियुक्त-2 द्वारा अभियोजन साक्षी-7 एवं अभियोजन साक्षी-8 के माध्यम से दिए गए थे, जो शत्रुतापूर्ण हो गए। अभियोजन साक्षी-2 ने स्वीकार किया कि उसने 100/- रुपये अभियुक्त-2 को अभियुक्त-1 को देने हेतु कभी नहीं दिए। जब माँगी गई 500/- रुपये की राशि में से 100/- रुपये के एक भाग की प्राप्ति सिद्ध नहीं हुई, तब रिश्वत की शेष राशि की प्राप्ति संबंधी जाल घटना पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

(10) चूँकि अभियोजन साक्षी-2, अभियोजन साक्षी-3 एवं अभियोजन साक्षी-26 के माध्यम से अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह सिद्ध नहीं करते कि अभियुक्तों ने धारा 7 के अधीन अपराध किया है, इसलिए धारा 20 के अधीन उपधारणा नहीं ली जा सकती।

उच्च न्यायालय ने पाया कि उक्त निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण हैं तथा साक्ष्य के गलत पठन पर आधारित हैं। तदनुसार विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त कर दिया गया।

4. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप की सीमित परिधि को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय को मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभाव्य दृष्टिकोण था और इसलिए उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। अपील के समर्थन में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित निवेदन किए गए :

1. मांग के आधार को अविश्वसनीय माना गया है;

2. अभियुक्त-2 द्वारा की गई मांग को अविश्वसनीय माना गया तथा अभियोजन कथन के मांग संबंधी भाग को अविश्वसनीय माना गया है, इसलिए सम्पूर्ण अभियोजन कथन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था।

5. अभियोजन साक्षी-2 को इरोड जाना चाहिए था, जहाँ एक सतर्कता अधिकारी उपलब्ध था। अभियोजन साक्षी-2 की साक्ष्य अविश्वसनीय है तथा उसकी साक्ष्य का कोई समर्थन नहीं है। यह अस्वाभाविक है कि विवाद के निपटारे के पश्चात् घायल व्यक्ति से रिश्वत की मांग की जाए। उच्च न्यायालय ने यह त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन साक्षी-2 ने साक्षियों को बुलाया, जो सही नहीं है। अभियोजन साक्षी-21 ने कोई शिकायत नहीं की, जबकि वह कथित रूप से प्रभावित व्यक्ति था। जैसा कथित है, कोई हस्ताक्षर नहीं है। यह इंगित किया गया कि अभियोजन साक्षी-2 प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त नहीं है, बल्कि वह अभियोजन साक्षी-21 का बहनोई है।

6. दूसरी ओर, उत्तरदाता-राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निर्णय का समर्थन किया।

7. यह इंगित किया जाना आवश्यक है कि धनराशि की बरामदगी विवादित नहीं थी। अभियुक्त ने कहा कि उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से फँसाया गया। धनराशि अभियुक्त की जेब में रखी गई थी।

8. दिनांक 06.07.1991 की घटना के संबंध में अभियोजन का कथन अभियोजन साक्षी-2, अभियोजन साक्षी-21, अभियोजन साक्षी-22, जो अभियोजन साक्षी-21 का पुत्र है, तथा अभियोजन साक्षी-23, जो एक अन्य संबंधी है, द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है। यद्यपि अन्य पक्ष अर्थात् अभियोजन साक्षी-4 एवं अभियोजन साक्षी-5 शत्रुतापूर्ण हो गए, तथापि वे यह स्वीकार करते हैं कि दिनांक 06.07.1991 को घटना हुई थी तथा उन्हें अभियुक्त-1 द्वारा पुलिस थाना बुलाया गया था, जिसने पूछताछ के पश्चात् उन्हें विवाद का निपटारा करने का निर्देश दिया तथा चेतावनी दी। इसके अतिरिक्त, अभियोजन साक्षी-13, अभियोजन साक्षी-14, अभियोजन साक्षी-15 एवं अभियोजन साक्षी-16, जो उक्त पुलिस थाना से संबद्ध आरक्षी थे, ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि अभियोजन साक्षी-5 द्वारा अभियोजन साक्षी-21 के विरुद्ध की गई मौखिक शिकायत के आधार पर अभियुक्त-1 द्वारा पूछताछ की गई तथा उसके निर्देश पर

दोनों पक्षों से मुचलका लिया गया। इन परिस्थितियों में अभियोजन साक्षी-2, अभियोजन साक्षी-13 से अभियोजन साक्षी-16 तथा अभियोजन साक्षी-21 से अभियोजन साक्षी-23 तक की साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है।

9. जब इन साक्षियों के माध्यम से ऐसे ग्राह्य साक्ष्य उपलब्ध हैं, तब उनकी साक्ष्य को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अभियोजन साक्षी-4 एवं अभियोजन साक्षी-21 द्वारा दी गई शिकायतें अभिलिखित नहीं की गईं तथा दोनों पक्षों से प्राप्त मुचलका प्रस्तुत नहीं किया गया। वास्तव में अरुमुगम (अभियोजन साक्षी-25), जो सत्यामंगलम के पुलिस निरीक्षक थे और जिनके अधीन अभियुक्त-1 उप-निरीक्षक के रूप में कार्यरत था, ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभियोजन साक्षी-4 एवं अभियोजन साक्षी-21 की शिकायतें पुलिस थाना में पंजीकृत नहीं की गई थीं। यह दर्शाता है कि लिखित शिकायत प्राप्त किए बिना तथा उसका पंजीकरण किए बिना भी अभियुक्त-1 द्वारा एक दिखावटी पूछताछ की गई तथा पूछताछ के बहाने दोनों पक्षों से मुचलका प्राप्त किया गया।

10. ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि दिनांक 06.07.1991 को ही मुचलका प्राप्त कर संपूर्ण पूछताछ समाप्त हो गई थी। यह तथ्य कि वह दिनांक 07.07.1991 को लगभग 11:00 बजे खेत पर गया तथा अभियोजन साक्षी-2 को सायंकाल पुलिस थाना में आकर मिलने का निर्देश दिया, स्वयं यह दर्शाता है कि पक्षकारों को यह विश्वास दिलाया गया कि पूछताछ अभी समाप्त नहीं हुई है। केवल उक्त निर्देश के कारण ही अभियोजन साक्षी-2 सायंकाल दिनांक 07.07.1991 को पुलिस थाना गया और अभियुक्त-1 से मिला। उसी संदर्भ में अभियुक्त-1 ने अभियोजन साक्षी-2 से धनराशि की मांग की तथा धमकी दी कि यदि वह शेष 400/- रुपये की राशि नहीं लाएगा, तो वह अभियोजन साक्षी-5 द्वारा दी गई शिकायत पर अभियोजन साक्षी-21 के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा। केवल इसके पश्चात् अभियोजन साक्षी-2 ने शुक्रवार को पुलिस थाना में उक्त राशि देने का आश्वासन दिया।

11. यह ऐसा मामला है, जिसमें अभियोजन साक्षी-21 पर अभियोजन साक्षी-4 एवं अभियोजन साक्षी-5 द्वारा हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन साक्षी-21 को चोटें आईं और वह खेत में गिरकर अचेत हो गया। उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के स्थान पर, जिन्होंने अभियोजन साक्षी-21 पर हमला किया था, अभियुक्त-1 ने अभियोजन साक्षी-21 को प्रातःकाल से सायंकाल तक रोके रखा। यद्यपि अभियोजन साक्षी-21 ने अभियुक्त-1 से उसे सरकारी अस्पताल भेजने का अनुरोध किया, तथापि अभियुक्त-1 ने उसे सरकारी अस्पताल भेजना उचित नहीं समझा; बल्कि सरकारी अस्पताल भेजने का अनुरोध करने के कारण अभियुक्त-1 ने स्वयं उसे पीटा। यह दर्शाता है कि अभियुक्त-1 ने अभियोजन साक्षी-2 एवं अभियोजन साक्षी-21 को अभियोजन साक्षी-21 को आई चोटों के संबंध में चिकित्सीय अभिलेख प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी। उसे केवल निजी चिकित्सक अभियोजन साक्षी-10 के पास भेजा गया। यद्यपि अभियोजन साक्षी-10 शत्रुतापूर्ण हो गया, तथापि उसके माध्यम से अभिलिखित प्रदर्श-पी8, अभियोजन साक्षी-2 एवं अभियोजन साक्षी-21 की साक्ष्य के आलोक में यह दर्शाता है कि अभियोजन साक्षी-10 ने अभियोजन साक्षी-21 को लगी चोटों के संबंध में चिकित्सीय पर्ची प्रदान की थी।

12. जहाँ तक इस कथन का संबंध है कि धनराशि झूठा फँसाने के उद्देश्य से रखी गई थी, वह निराधार है। अभियुक्त एक पुलिस अधिकारी था, जो रिश्वत लेने के परिणामों से परिचित था। उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने परीक्षण में उसने धनराशि क्यों ग्रहण की। अभियुक्त ने कहा कि अभियोजन साक्षी-2 ने धनराशि इसलिए ली क्योंकि निरीक्षक ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। सामान्य आचरण यह होता कि अभियोजन साक्षी-2 के विरुद्ध रिश्वत देने की पेशकश करने हेतु कार्यवाही की जाती। इसके अतिरिक्त, यदि मामला समाप्त हो गया था, तो खेत पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन साक्षी-26 तथा अन्य अधिकारियों के घर में प्रवेश करने से पूर्व अपीलकर्ता कुछ समय तक अपने कमरे में मुद्रा

नोट पकड़े हुए अकेला था। अतः, जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही रूप से अभिलक्षित किया, अपीलकर्ता द्वारा दाएँ हाथ की सहायता से धनराशि गिनने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। एक बार अभियोजन द्वारा यह सिद्ध कर दिया जाए कि धनराशि रिश्वत के रूप में माँगी गई थी तथा अभियोजन साक्षी-2 से प्राप्त की गई थी, तब अधिनियम की धारा 20 लागू हो जाती है। एक बार धारा 20 के अधीन उपधारणा उत्पन्न हो जाने पर अभियुक्त का दायित्व है कि वह यह स्थापित करे कि उक्त राशि रिश्वत के रूप में प्राप्त नहीं की गई थी।

13. चूँकि न्यूनतम दंड अधिरोपित किया गया है, इसलिए उसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

14. उपर्युक्त स्थिति होने के कारण इस अपील में कोई बल नहीं है, जिसे निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ता को यदि कोई शेष दंड भोगना हो, तो उसे तत्काल अभिरक्षा में आत्मसमर्पण कर शेष दंड भुगतना होगा।

के. टी. याचिका खारिज कर दी गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।